जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 05.12.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा मन्दिर व मस्जिद पर लगे तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउडस्पीकर के विरुद्ध चल रहे विशेष अभियान के अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण कर लाउडस्पीकरों को किया गया चेक, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 05.12.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा मन्दिर व मस्जिद पर लगे तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउडस्पीकर के विरुद्ध चल रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने व जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न कराने के दृष्टिगत पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत समय माता मन्दिर, नूरी मस्जिद, मदीना मस्जिद, खलीलाबाद का भ्रमण किया गया। इस दौरान पीआरओ पुलिस अधीक्षक ***श्री इन्द्र भूषण सिंह*** सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देश के क्रम में जनपद संतकबीरनगर के समस्त थानो की पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों/सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया गया, समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान अवैध लगे लाउडस्पीकर को उतरवाया गया तथा मानक के अंतर्गत ही लाउडस्पीकर लगवाने की हिदायत दिया गया। मानक से अधिक तेजी से बज रहे लाउडस्पीकर की आवाज को कम कराया गया तथा आवाज मानक के अनुरूप रखने हेतु निर्देशित किया गया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत धनघटा से इवेंट सं0 **47301** द्वारा कालर हरिलाल द्वारा मो0नं0 8948514523 से आटो व मोटरसाइकिल में टक्कर होने के कारण दुर्घटना मे 01 व्यक्ति (विश्वजीत पुत्र सभासरन ग्राम मुथही खुर्द थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के घायल होने सम्बन्ध में सूचना दियाए सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 मुकेश पाल, हो0चा0 रामहित प्रजापति।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 108 वाहनों से 1,14,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 108 वाहनों से 1,14,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित बाल अपचारी गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 920/2024 धारा 64(2)(M) व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित बाल अपचारी निवासी तितौवा चौराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद को विधियानी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 01.12.2024 को थाना स्थानीय पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में बाल अपचारी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 05.12.2024 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अवधेश सिंह यादव, हे0का0 नूरुद्दीन खान, का0 राजू गोंड।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 929/2024 धारा 108 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर में वांछित बाल अपचारी निवासी ग्राम मंझरिया गंगा (कटहरिया) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 05.12.2024 को कोनी घाट के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 04.12.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 05.12.2024 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 मनीष प्रभात।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में 02 अभियुक्तगण को 04-04 वर्ष के कारावास व 25000-25000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 05.12.2024 को ***न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय, जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा ***थाना धनघटा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/2000 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में अभियुक्तगण नाम पता

01. मुन्ना राय 02. जय प्रकाश पुत्रगण फतेहबहादुर राय निवासीगण बड़गो टोला सरौना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्धि के आधार पर अन्तर्गत धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध के लिए 04-04 वर्ष के कारावास एवं 25000-25000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जायेगा। अभि0गण मुन्ना राय व जय प्रकाश को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार संतकबीरनगर प्रेषित किया जाये।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा पुलिस लाईन सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन / मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन, अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए गए सख्त दिशा-निर्देश तथा जनपद में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण को सराहनीय कार्य हेतु दिया गया पारितोषिक पुरस्कार

आज दिनांक 05.12.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा के में रिजर्व पुलिस लाईन सभागार कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी किया गया। अपराध गोष्ठी से पूर्व सैनिक सम्मेलन कर जनपद के सभी थानों व शाखाओं से आये पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गयी व उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात अपराध गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही, कानून व्यवस्था के दृष्टिगत छोटी से छोटी घटनाओं पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारीगण व थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए। लुटेरे व पेशेवर अपराधियों की सूची तैयार कर उनकी सतत निगरानी व सत्यापन करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। 06 माह से अधिक लम्बित विवेचनाओं व प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समयबद्ध कराने, महिला संबंधित अपराधों में गम्भीरता से कार्यवाही करते हुए अपहृता की सकुशल बरामदगी, गैंगस्टर अधिनियम एवं गुंडा अधिनियम की कार्यवाही तथा टॉप-10 अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही, गम्भीर अपराधों में त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही एवं प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों की शीघ्र सजा कराने, लंबे समय से थाने में दाखिल अभियोगों से संबंधित लावारिस एवं जप्त वाहनों का विधिक निस्तारण सुनिश्चित कराने,आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरों को अधिष्ठापित कराने आदि के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए। यूपी 112 पर प्राप्त सूचनाओं को पीआरवी वाहनों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर समयबद्ध निस्तारण हेतु हिदायत दिया गया तथा जनपद में नियुक्त 97 अधिकारी/कर्मचारीगण को रिवार्ड/पारितोषिक पुरस्कार व 02 कर्मचारीगण को सराहनीय/उत्कृष्ट सेवा सम्मान पुरस्कार नगद धनराशि वितरण किया गया। गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह,* क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान,* क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अजय सिंह,* सहित समस्त थाना प्रभारी, शाखा/कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।